

न्यायालय उप जिलाधिकारी मधुरा
वाद संख्या ०५/२००६-०७
श्री वेणुघरशिंह विकासरामिति रजिस्टर्ड द्वारा रामामायतार आदि
वनाम
रारकार

धारा 143 जातिएवं भूम्योद्योग
मौजा जलाल

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 जातिएवं भूम्योद्योग

तहसीलदार, मधुरा की आख्या दिनांक 04.04.2007 से विदेष है कि मौजा जलाल तहसील
व जिला मधुरा की गृही खाता रख्या 62 खासा संख्या 19 रक्वा 0.397है 6.40पैसे व
खाता संख्या 63 खासा रख्या 18 रक्वा 0.397है 8.50पैसे व खाता संख्या 73 खासा
संख्या 20 रक्वा 0.397है 0के श्री वेणुघर शिंह विकास समिति रजिस्टर्ड द्वारा रामामायतार आग्रावाल
पुत्र शिवचरन आग्रावाल व नीरज आग्रावाल पुत्र रवीन्द्रनाथ निवासीमण कगला नंगर आगरा राक्षमणीय
भूमियर दर्ज कराया है। यह भूमि कृषि वागवानी, गत्यापालन, कुकुट, पालन, पशुपालन आदि कृषि
के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। प्रश्नगत भूमि विकास प्राधिकरण या किसी अन्य विभाग द्वारा
अविभागण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मधुरा द्वारा आवादी घोषित विए जाने की संतुति
की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मधुरा की उक्त आख्यानुसार निम्न प्रकार अकृपिक
घोषित किया जाता है:-

मौजा	भूमिघर का नाम, पिता का खाता खासा रक्वा भूराजरव अकृपिक उपयोग में आने अन्य परगना नाम व पिता का नाम व संख्या संख्या	वाली गृही का विवरण
व जिला	निवास रथान	खासा रक्वा भूराजरव

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

जलाल श्री वेणुघर शिंह विकास समिति 62 19 0.397है 6.40पैसे अकृपिक
मधुरा रजिस्टर्ड द्वारा रामामायतार ५१/५३ 18 0.397है 8.50पैसे 18 0.397है 8.50पैसे अकृपिक
आग्रावाल, नीरज आग्रावाल पुत्र चरन 73 20 0.397है 6.45पैसे 20 0.397है 6.45पैसे अकृपिक
रवीन्द्रनाथ निकमलानगर आगरा

योग-3किला 3किला 1.191है 21.35पैसे 3किला 1.191है 21.35पैसे

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मधुरा व उपनिवन्धक मधुरा को अभिलेखों
में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

(राकेश चन्द्र शर्मा) २३/५१०२

उप जिलाधिकारी, मधुरा

प्रतिलिपि तहसीलदार, मधुरा व उप निवन्धक, मधुरा को उपरोक्तानुसार कार्यालयी हेतु
प्रेषित।

(राकेश चन्द्र शर्मा) २३/५१०८

उप जिलाधिकारी, मधुरा



सत्य प्रतिलिपि
तहसीलदार, उपनिवन्धक
मधुरा
२३/५१०८



२३/५१०८
वाली गृही - दूर्घ रुक्त
दूर्घ देने का दिन - २३/५१०८
दूर्घ - २३/५१०८
महल ठेस्टरी का दिन - २३/५१०८
महल दाये करने का दिन - २३/५१०८
बलों का दिन - २३/५१०८